न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 4 / 2020 प्रार्थना पत्र   दायर दिनांक 15.06.2020

उनवान

1. रतनलाल पिता गणेशलाल जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. शंकरलाल पिता गणेशलाल जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. हीरालाल पिता गणेशलाल जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता उदेराम जी जाति गुर्जर निवासी गुजरियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
2. भैरूलाल पिता उदेराम जी जाति गुर्जर निवासी गुजरियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
3. मांगीलाल पिता देवा जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
4. भैरूलाल पिता गिरधारी जी जाति गुर्जर निवासी कपासन ढाबा का देवरा मजरा गुजरियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
5. भंवरलाल पिता गिरधारी जी जाति गुर्जर निवासी कपासन ढाबा का देवरा मजरा गुजरियाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
6. डालचन्द पिता नारायण जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
7. नन्दलाल पिता नारायण जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
8. कालु पिता रामा जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।
9. भवानीशंकर पिता रामा जी जाति कच्छावा निवासी काछीयाखेडी तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ़।

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट</u>

निर्णय दिनांक 15.06.2020

—:निर्णय:—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी / वादी की ओर से वकील हिम्मत सिंह जाधव ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एलआर एक्ट का प्रस्तुत किया। प्र[illegible]ापत्र [illegible]द जॉच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी [illegible] बाबत निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का होकर आवश्यक प्रकृति का है यदि प्रार्थी को नही सुना गया तो प्रार्थी को अपने स्वयं के आराजीयात की पुख्ता सीमा की जानकारी नहीं हो पायेगी जिससे वर्षा ऋतु के पश्चात् फसल बुवाई में प्रार्थी को समस्या उत्पन्न होगी अतः प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का मान कोरोना महामारी में आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों में सम्मिलित करते हुए सुनवाई किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। हाजिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार कर बहस एक तरफा सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थीगण ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें मात्र खातेदार अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहता है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 6685, 6686, 6687 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा वह अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से हम प्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण हम प्रार्थीगण की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी /सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रस्तुत खाते की नकल सम्वत् 2070 से 2073 तक के मुताबिक उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जो अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/ सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 6685, 6686, 6687 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है0 की पुख्ता पत्थरगढ़ी दोनों पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हों व कोई प्रकरण विचाराधीन न हो तो पत्थरगढ़ी किया जाने हेतु 500/– रूपये शुल्क पर तहसीलदार कपासन को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर उभय पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब कर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढ़ी मौके पर की जावें पत्थरगढ़ी आदेश कि पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि उक्त आराजियात से सम्बधित कोई भी प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं। कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका के प्रस्तुत करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.03.31 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official